हैं। मैं पिछले साल आ रहा था झांसी से एक स्टेशन आगे ओरछा आता है। वहां साढ़े सात बज चुके तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे मेरा टाइम पूरा हो गया। तो वहां से कंट्रोल को फोन किया गया। दूसरा इंजन मंगाया तब 8 बजे वहां गाड़ी झांसी आई।

MR. CHAIRMAN: He may resume his speech tomorrow.

---

18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

DUES PAYABLE TO DELHI MUNICIPAL CORPORATION

MR. CHAIRMAN: We shall now take up the half-an-hour discussion. Shri Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) सभापति महोदय, 19 फरवरी, 1975 को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिल्ली कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार से, दिल्ली प्रशासन से, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास अधिकरण से कुल मिला कर साढ़े 12 करोड़ रुपये की राशि की भुगतान का आग्रह कर रहा है। इस में से 5 करोड़ रुपया कारपोरेशन को नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी से मिलना है। यह पैसा कारपोरेशन द्वारा की गई बिजली की सप्लाई के बदले में है। इस के साथ ही कारपोरेशन अपने क्षेत्र में जायदादों पर कर लगाता है। लेकिन सरकारी इमारतों के बारे में वह सर्विस चार्ज के रूप में लिया जाता है उसे देना केन्द्रीय सरकार मान चुकी है। लेकिन वस्तुस्थिति में उस का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उस दिन उत्तर में माना गया कि कारपोरेशन इस मद में भी 5 करोड़ रुपये प्राप्त करने का दावा कर रहा है। इस के अतिरिक्त कारपोरेशन को दिल्ली प्रशासन से साढ़े इक्यावन लाख रुपया उन जुर्मानों की रकम के रूप में प्राप्त करना है जो यहां के न्यायालयों ने लगाए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण मद है। कारपोरेशन नई दिल्ली के क्षेत्र में आग बुझाने की सेवा उपलब्ध करता है। उस के बदले में नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को कारपोरेशन को रुपये का भुगतान करना चाहिए। मोरारका कमीशन ने भी इस की पुष्टि की थी। एक फारमूला बना था। लेकिन नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने उस पर अमल नहीं किया। रुपया देने से नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी इनकार कर रही है। इसी प्रकार गन्दी बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी योजनाओं पर अधिक भुगतान के रूप में भारत सरकार को 75 लाख के करीब पया देना है। गन्दी बस्ती परियोजनाओं पर जो खर्च हुआ है उसका भी पचास लाख के करीब रुपया कारपोरेशन को मिलना चाहिए।

अब यह रुपया क्यों रोका गया है इसका जो उत्तर दिया है सरकार ने वह बड़ा हास्यास्पद है। यह कहते हैं कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी कारपोरेशन के दावे के बारे में विवाद पैदा कर रही है। 1960 से यह विवाद चल रहा है। कानूनी सलाहकारों की राय ली गई थी। परस्पर विरोधी राय आई इसलिए मामला खटाई में पड़ा है अब फिर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन विवाद हल नहीं हुआ है।

जब यह दिल्ली कारपोरेशन ऐक्ट 1957 पार्लियामेंट ने पास किया तब इस में स्पष्ट था कि कारपोरेशन को अधिकार होगा जो बिजली वह देवेगा उपभोक्ताओं को उस के बदले में कर वसूल करने का। थोड़ा सा सन्देह हुआ इसलिए मामला एटार्नी जनरल की राय के लिए गया था। उन्होंने निर्णय दिया था उस समय कि यद्यपि ऐक्ट बिल्कुल

... और नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी रुपया देना चाहिए फिर भी उन्होंने ... दिया कि इस मे थोडा सा संशोधन कर दिया जाय और सेल और कंजम्पशन के साथ सप्लाई भी जोड़ दिया जाय। इस तरह का एक संशोधन 1961 के ऐक्ट मे कर दिया गया। इस के बाद नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का कोई विरोध नहीं रहना चाहिए। इस के बाद भी नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने और कार्पोरेशन ने इस बात पर सहमति की कि सारा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर को मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाय। उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने निर्णय दे दिया। 11 सितम्बर, 1973 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कार्पोरेशन के मेयर श्री साहनी को जो पत्र लिखा उस मे स्पष्ट कहा था कि नई दिल्ली नगरपालिका के साथ बिजली कर के सम्बन्ध मे चल रहे भुगतान का निपटारा अब हो चुका है। नई दिल्ली नगरपालिका से कहा गया है कि बिजली का भुगतान वह दिल्ली निगम को कर दे। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला था, मध्यस्थ के रूप मे फैसला था। मध्यस्थता दोनो की राय से तय हुई थी। कम से कम नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने आपत्ति नहीं की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले पर अमल क्यों नही हुआ ? क्या यह आश्चर्य की बात नही है कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड रुपया दे रहा है बिजली लेने के बदले मे, यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी कुछ आपत्ति की थी, लेकिन बाद मे वह समझ गए कि कार्पोरेशन रुपये का लेनदार है और 45 लाख रुपया वह दे चुके है, लेकिन नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी अड़ी बैठी है। केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत म्युनिसिपल कमेटी इस तरह के प्रशासन के निर्णयों की अवहेलना कर रही है।

यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। ताज्जुब की बात है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो बिजली उपभोक्ताओं को बेच रही है उस के बदले मे स्वयं रुपया ले रही है। मगर वह रुपया कार्पोरेशन को नही दे रही है। क्यों नहीं दे रही है ? अब इस के लिए बैठके फिर से बुलाने की क्या जरूरत है ? क्या केन्द्र सरकार पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले को रद्द करने पर आमादा हो गई है ? तो फिर नई मध्यस्थता के सुझाव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

इस के साथ और भी चीजें है जिन के बारे मे केन्द्र सरकार अपनी देय रकम को कारपोरेशन को देने के लिए तैयार नहीं है। 40 करोड़ का कारपोरेशन का बजट और उस मे से 15 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार रोक कर बैठी है तो यह कारपोरेशन दिल्ली के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन कैसे कर सकती है ? वह अपने कर्मचारियों के साथ भी न्याय नहीं कर सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) उन की पार्टी के हाथ मे दे दीजिए कार्पोरेशन को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या कार्पोरेशन को सफलता से चलने का अवसर देने का यह तरीका है ? मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि केन्द्र सरकार दिल्ली कार्पोरेशन के प्रति ऐसा रवैया अपना रही है, आप क्षमा कीजिए नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी केन्द्र सरकार की शह पर अडंगेबाजी कर रही है तो उस का एक ही कारण है कि कार्पोरेशन मे भारतीय जनसंघ का बहुमत है।

एक माननीय सदस्य अब तो नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी तो अभी दे दीजिए। आज यहां यही एलान कर दीजिए तो यह साफ हो जायगा कि हमारा बहुमत था इसलिए आप रुपया नहीं दे रहे थे।

श्री एच० के० एल० भगत : (पूर्वी दिल्ली) : पिछले आठ सालों में जितना रुपया दिया है उतना हमारे जमाने में नहीं दिया। यह हिसाब निकाल कर देख लीजिए और यह आप के जमाने से नहीं पुराने जमाने से चल रहा है।

You were not in power in 1960-66. We were in power in the Corporation.

MR. CHAIRMAN: You can only raise a point of order: You cannot speak.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, I am rising on a point of order.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am prepared to yield. Let him say what he wants.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I have already said it.

आप का कहना कि यह जनसंघ के कारण से हो रहा है यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, ये कहां से बीच में भाषण करने लगे। इनका तो नाम भी बैलट में नहीं निकला है।

SHRI H. K. L. BHAGAT: I corrected him only on the question of facts.

जो मैंने कहना था, वह कह दिया। यहां जनसंघ के खिलाफ़ ऐसा किया जा रहा है – यह बात गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर भगत जी दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

श्री एच० के० एल० भगत : वहां जनसंघ पावर में है, इसलिए ऐसा हो रहा है—यह गलत बात है—यह झगड़ा तो चल रहा है।

MR. CHAIRMAN: He was point of explanation.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How on a point of explanation?

SHRI H. K. L. BHAGAT: I was in the Delhi Municipal Corporation. I am correcting his facts. Let it be called a point of submission.

MR. CHAIRMAN: Yes; you may call it a point of submission.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You kindly allow my hon. friend Shri Shyamnandan Mishra, also to make a point of submission.

मैं निवेदन कर रहा था—केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण कारपोरेशन वित्तीय संकट मे फंस गया है। कारपोरेशन अपने ढंग से आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करता रहा, थोड़ी सी अलोकप्रियता मोल ले कर भी इस बार कारपोरेशन ने बजट में लोगो पर टैक्स लगाया, लेकिन उस के बाद भी अगर इतना रुपया केन्द्रीय सरकार रोके और रोक कर बैठी रहे तो काम किस तरह से चलेगा। आप सूची को देखिए, जिन विभागों की तरफ रुपया रुका है—उन मे एक तो निर्माण तथा आवास है, जिस के मंत्री महोदय यहां विद्यमान है....

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : आप जानते हैं, मेरा उस विभाग से अब सम्बन्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आवास तथा निर्माण मंत्रालय की तरफ 188.24 लाख रुपये, दिल्ली प्रशासन की तरफ़ 159.24 लाख रुपये, रेलवे की तरफ़ 6.33 लाख रुपये, दिल्ली विकास अधिकरण की तरफ 79.79

लाख रुपये और केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरफ़ 65.97 लाख रुपये बाकी हैं। अब अगर ये विवाद चलते रहेंगे और उन्हें लम्बा बनाने की नीति अपनाई जायगी तो हम इस स्वशासी कारपोरेशन को सफल नहीं देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार अपना सौतेला व्यवहार छोड़े, जो विवाद तय हो गये हैं उन पर अमल करने के लिए नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को विवश किया जाय और जो केन्द्र सरकार को देना है, उस का तत्काल भुगतान किया जाय। जितनी देर तक यह मामला लटकाया जायगा--सरकार का यह दावा कि कोई भी दल कहीं भी चुन कर जाय, केन्द्रीय सरकार उस के साथ भेदभाव नहीं करती है--कारपोरेशन के ये आंकड़े उस दावे को झुठलाते हैं। अगर आप विरोधी दल को कारपोरेशन में सहन करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आप किसी राज्य में विरोधी दल को सरकार को सहन करने के लिए तैयार होंगे--इस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं होगा।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सारे मुद्दों पर ठीक से जवाब दें और वह जवाब ऐसा होना चाहिए जो न केवल इस सदन को सन्तोष दे सके, बल्कि दिल्ली की जनता का भी सन्तोष कर सके। आज केन्द्रीय सरकार कठघरे में खड़ी है और जनता देख रही है कि वह किस तरह से अपना बचाव करती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं अभी वाजपेयी जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। ऐसा मालूम होता था--जैसे कोई जबरदस्ती कारपोरेशन को मार डालना चाहता है। कारपोरेशन के बारे में पिछले दिनों सी० बी० आई० की एन्क्वायरी हुई थी और जहां तक मुझे मालूम है--मैंने अखबारों में पढ़ा था--वहां जितने करप्शन के केसेज़ थे, मेरे परम मित्र अटल बिहारी जी भी मानेंगे उन में करप्शन के कुछ चार्जेज़ तो बड़े ही सीरियस नेचर के थे। मैं जानता हूं--उन्होंने भी खुद एक्शन लिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्शन न लिया हो, लेकिन आज जो 15 करोड़ पये रोक लिये गये, तो आप यह बात मान लीजिए, अगर ये रुपये मिल जाते तो शायद इन 15 करोड़ रुपयों के बारे में भी जांच करानी पड़ती। वाजपेयी जी, मैं इस का समर्थन नहीं कर रहा हूं ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह समर्थन करना ही है? आज कल आप की और उनकी गाढ़ी दोस्ती है।

श्री एस० एम० बनर्जी: लेकिन एक बात ज़रूर है--आप दोनों के झगड़ों से ऐसा लगता है कि यह कारपोरेशन न आपको मिलनी चाहिए और न इन को मिलनी चाहिए, बल्कि हम को मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने सही काम नहीं किया है। आप कारपोरेशन को सुपरसीड कर दीजिए ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: और बनर्जी साहब को उस का एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए।

श्री एस० एम० बनर्जी: एडमिनिस्ट्रेटर तो 50 साल के बाद किसी को नही बनाना चाहिए, किसी तरुण आदमी को बनाया जाय, जैसे अटल जी कुंआरे हैं, इन की ऊपर 50 साल होगी, लेकिन 25 साल ही मानी जायगी।

मेरा पहला निवेदन तो यह है कि इस के बारे में खुली जांच होनी चाहिए। केन्द्र ने कारपोरेशन को पैसा नहीं दिया, या कारपोरेशन में भ्रष्टाचार हुआ--इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ़ जिस तरह से सारे देश में आन्दोलन चलाने की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ले रखी है, यदि उन की कारपोरेशन बनी है, तो चाहे उन का लीडर भी हो, उस के खिलाफ़ भी जांच होनी चाहिए, जो भी उस के

लिये जिम्मेदार हो उस को फौरन वहां से हटाना चाहिए । मेरा सवाल यह है कि क्या कोई हाईपावर्ड कमीशन या कोई ऐसा कमेटी का नियुक्ति होगी जो उस की पूरी तरह से जांच करे । मैं पार्लियामेन्ट्री प्रोव को बात नहीं कहता हूं--क्योंकि हो सकता है कि हम एक दूसरे से मिल जांय, लेकिन ऐसा कमीशन नियुक्त हो जो निष्पक्ष हो ।

The CBI has touched only the tip of the iceberg. But the iceberg is still there. A high power commission should be appointed to go into the entire affairs and justify whether the Centre has done any harm to the Corporation, because there is a rumour going on--I do not know how far it is correct--that perhaps the Corporation might be superseded. I am against super session of the elected body. But because of political instability and corruption, it might be done. But I do not support supersession. There should be an inquiry and I support Mr. Vajpayee in that. I want to knew if this particular amount has been stopped only at the instance of the NDMC. Let there be a high power inquiry to go into the whole affair.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): I am taking a non-political line in this, and I hope the hon. Minister will come up with a square answer. The question was:

> "whether the Union Government, the Delhi Administration, the New Delhi Municipal Committee and Delhi Development Authority together owed Rs. 12,36,39,000 to the Delhi Municipal Corporation for various services rendered to them."

I do understand that the Union Government may not be able to reply on behalf of the DDA and the NDMC; they may refuse....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They cannot.

SHRI B. V. NAIK: ....to reply on behalf of the Delhi Administration also. But the Union Government has shown in the statement accompanying the reply a sum of Rs. 500.00 lakhs approximately towards arrears of property tax-service charges up to 12/74: It is a clear charge. The question was very categorical. Does the Union Government admit this claim that has been made by the Delhi Municipal Corporation or not? The answer to this by the Minister could be either 'yes' or 'no'. But he has not said that. This is something skirting round the question and not coming to brasstacks This should be avoided. Subsequently what they have said in the statement is:

> "Bulk of this amount is contested by the concerned authorities on the question as to what should be the unit of property for the purposes of assessment, the rate of calculation of tax and the quantum of services charge payable by them. The matter is under consideration of the Ministry of Works and Housing."

The statement has been laid on the Table in reply to the second part of the question put by Shri Ishaque Sambhali—'if so, the facts thereof'. You could have given the facts and narrated. You have not had the alertness to give a categorical reply. This is not the only question. Hundreds of questions are answered in such a way that you skirt round the problem. The essence of Parliamentary democracy is that we discuss our mutual problems in an open forum. We do not expect you to solve all the problems immediately. But let there be a candour in the replies.

Coming from the general to the specific, I have not been able to make out as to what should be the unit. That again is vague. That is again vague. A man with the common understanding will not be able to make out. But Section 119 of taxation of Union properties is very categorical and clear. That is in regard to the

Delhi Municipal Corporation Act of 1957:

> "Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, lands and buildings being properties of the Union shall be exempted from the property taxes specified in Section 114...."

wherefrom the Delhi Municipal Corporation derives its power to levy taxes like water tax, scavening tax, fire tax, general tax, etc I think the Act is very specific and I do not know why we have not been able to know the mind of the Ministry of Home Affairs which has been dealing with this subject.

The hon. Member , Shri Vajpayee raised the question regarding the Morarka Committee which spbmitted its report on 30th August, 1968. They have very clearly stated in their first recommendation:

> "A local body should exploit its own sources of revenue. If it fails, the Government should consider taking powers of its own to impose taxes or revise the rates of the existing taxes."

Have you at least, as the hon. Member has repeatedly pointed out, felt that the Delhi Municipal Corporation is in financial straits? I shall go into the Act. For first-class picture houses, for one show, they are collecting how much tax? I hope the hon. Minister knows about it. For one show in which the highest ticket—I do not know as I had not been to a picture house in Delhi so far—they collect a tax of Rs. 10. Why cannot they charge Rs. 500 per show? The picture-houses make money by the tonnes and every picture-house is always full....

SHRI ATAL BIHAR VAJPAYEE: Entertainment tax is different.

SHRI B. V. NAIK: You see the Schedule II, where it has been clearly stated that they can levy a tax in regard to picture houses and they are levying Rs. 10 or Rs. 8 or Rs. 5. Why can they not raise this when the picture-house are full to the brim?

I would, therefore, suggest that it was of no concern to any Indian in particular if Delhi did not happen to be the capital of this country. It is all right as long as we are near-about the Connaught Circus But if we go into the interior places in old Delhi, I think it is in a state of stagnation and some solution will have to be found and now that Delhi has become the principal city of this country with 45 lakhs of population, the Home Minister can neglect the development of this city at its own peril.

I would, therefore, like to know categorically as to what happened to the Morarka Committee's recommendations in the last seven years:

(2) What are the recommendations of that committee you have accepted and what are the recommendations you have rejected and what are the recommendations you are still thinking about after seven years?

(3) If the Delhi Municipal Corporation is in financial straits, on the lines of the recommendations of the Morarka Committee, are you going to take the initiative to legislate or are you going to find out any other solution?

(4) The amount due is said to be of Rs. 12 crores—kindly explain to us and particularly, what you mean by unit of tax because, according to Section 119, you are supposed to be exempted.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि अटार्नी जनरल ने इस बारे में स्पष्टत: राय जाहिर की थी कि दिल्ली म्युनिसिपल कौरपोरेशन को कर वसूल करने का पूरा अधिकार है और इस बारे में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है ?

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

दूसरे यह कि इस के बाद जब कुछ फिर से शंका उठायी गयी तो क्या उस को दूर करने के लिए इसी सदन में एक बिल लाया गया और उस के अनुसार यह संशोधन स्वीकार किया गया जिस के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया कि :

"The proposed amendment is intended to make it clear that the tax on the sale of electricity under Section 113(2)(d) of the Act is leviable also on electricity supplied in bulk under sections 284 and 285 of the Act to the New Delhi Municipal Committee and the Military Engineering Service, Delhi Cantonment".

और इसी बात को ले कर के संशोधन स्वीकार किया गया था। इस के बाद किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह गई थी। लेकिन जैसा माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि राजनीतिक कारणों को ले कर के नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब हो, वह अपने कामों को ठीक ढंग से पूरा न कर सके इसीलिए इस प्रश्न को टाला जाता रहा। अन्यथा कोई कारण समझ में नहीं आता कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा नगर निगम को जो देय धनराशि है वह क्यों नही दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार को करोड़ों रु० का भुगतान करना है, एन० डी० एम० सी० को करोड़ों रुपये का भुगतान करना है, सी० पी० डब्ल्यू० डी० को करोड़ों का भुगतान करना है। जब मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस विवाद के बारे मे दिल्ली के उप-राज्यपाल अपना कोई निर्णय दे जो मान्य होगा, और उन्होंने अपना निर्णय दिया कि नगर निगम को इतना पैसा तत्काल एन० डी० एम० सी० द्वारा दे देना चाहिए। लेकिन उस के बाद भी उन्होंने टाला है और उस को पूरा नही किया है। आज तक टालते जा रहे है। इतना ही नहीं जो दूसरा कर उन पर देय था अग्नि-शमन सेवाओं का, जैसा मुरारका कमीशन ने स्वयं कहा है, और जैसा मंत्री महोदय ने कहा यह बात सही है कि

"दिल्ली में अग्नि-शमन सेवा के रख-रख. पर एकीकृत नियंत्रण चालू रखना वांछनीय होगा, जैसा कि इस समय है, लेकिन इस संगठन पर होने वाले कुल व्यय का वहन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और कैन्टोनमेंट बोर्ड अपने अपने इलाके में, संपत्ति के वार्षिक कर-योग्य मूल्य के अनुपात से करेंगे।"

यह साफ़ उन्होंने कहा है। उस के बाद पैसा रोक रखना और इस पैसे का भुगतान नही करना उचित नहीं कहा जा सकता है, साथ साथ बिजली कर का भुगतान भी नही किया गया, यह कहां तक उचित कहा जा जा सकता है? और फिर आज एक नये आर्बिट्रेटर की बात करना, जब कि मध्यस्थता के प्रश्न को ले कर एक बार उप-राज्यपाल ने निर्णय कर दिया। ऐसी स्थिति मे फिर दुबारा मध्यस्थता का कहा प्रश्न पैदा होता है। जब संसद ने इस प्रकार का संशोधन कर दिया हो शंका निवारण करने के लिए तो फिर कौन सी बात रह गई है मध्यस्थता के लिए ? इसलिए मै पूछता हूं कि जानबूझ कर नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब कर के क्यो अड़ंगा डालना चाहते है ? आप उन्हे साफ क्यो नही कहते कि पैसा दे देना चाहिए।

जो दूसरी सिफारिश मोरारका कमीशन ने की थी उस के बारे मे आप ने कौन सी प्रभावी कदम उठाये हैं ? और खास कर के जो उन्होने नगर निगम को देय रकमो के बारे में जिक्र किया था उस के बारे मे आप ने कौन कौन से कदम उठाये हैं, यह मंत्री महोदय बतायें।

श्री इलीप सिंह (बाह्य दिल्ली) : जब कौरपोरेशन के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत थी तो कितना रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर दिया ? और इन आठ सालों में जब कि जनसंघ की हुकूमत है तब कितना रुपया दिया गया ?

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may please resume his seat. I might invite the attention of the hon Members to Rule 55.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Would you kindly permit me to seek some clarifications from the hon Minister?

MR. CHAIRMAN: It has been explained earlier that there is no provision in the rule to allow any other Member who has not given in writing to put questions, unfortunately. You could have raised a point of order.

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में रेल मंत्री (श्री ओम मेहता) : सभापति जी, माननीय बाजपेयी जी ने हम पर बहुत इल्जाम लगाये, और यह कहा कि कोरपोरेशन को हम ने कि्पल करने के लिए जो उस के ड्यूज थे वह नहीं दिये । जो उन्हें रुपया एन० डी० एम० सी० को देना था वह नही दिलाया । जो प्रौपर्टी टैक्स था या सर्विस चार्जिज थे, जो सी० पी० डब्लयू डी० को देने थे वह नही दिलाये । हम हमेशा यह इल्जाम बर्दाश्त करते रहे । लेकिन मुझे यह कहना पडता है कि इतने भारी इल्जाम नही थे जो इन्होने लगाने की कोशिश की । जो इल्जाम हैं दोनो तरफ से है, एक तरफ के नही । मैं एक एक इल्जाम पर डिटेल में बात करूगा । एन० डी० एम० सी० पर यह इल्जाम लगाया गया है कि जो बिजली उनको दी जाती है उस पर जो टैक्स है पांच करोड़ के करीब हम कारपोरेशन को उससे दिलाने में असफल रहे हैं । एन०डी०एम०सी० ने पहले से ही इस टैक्स को डिसप्यूट किया था । इस पर विवाद किया था और कहा था कि उन्होंने यह टैक्स नही देना है । हमने हमेशा कोशिश की कि दोनों जो बाडीज हैं वे किसी न किसी तरह से रास्ते पर आ जाएं और फैसला कर लें । पहले एटर्नी जनरल की ओपिनियन लेने की बात थी । इन की ओपनियन ली गई और वह कनफिलटिंग ओपनियन थी, दोनो तरफ की थी । इस पर वाद-विवाद चलता रहा तो यह तय हुआ कि आर्बिट्रेशन के लिए यह मामला दे दिया जाए । एक जून, 1970 को कारपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इसको आर्बिट्रेशन के लिए दे दिया जाय । उसके बाद पहली अप्रैल, 1971 को म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर और एन० डी० एम० सी० के प्रेजीडेंट ने श्री एम० के० दास जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको आर्बिट्रेशन के लिए यह मामला देने की बात मान ली । हम तो यह चाहते थे कि यह झगडा सुलझ जाए लेकिन दास साहब ने यह रिसपासिबिलिटी नहीं ली । 1973 मे हमने फिर यह मामला रिब्यू किया और उस वक्त फैसला हुआ कि लैफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले को निपटाने की कोशिश करे । उन्होंने कोशिश की और अभी अभी बाजपेयी जी ने चिट्ठी पढ़ी जो उन्होंने मेयर के नाम लिखी । लेकिन ज्यो ही यह मामला एन० डी० एम० सी० को मालूम हुआ उन्होने जा कर फिर रिप्रिजेंट किया कि हमारा जो ब्यू प्वाइंट है वह आपके सामने नही आया और हम यह रुपया नही देंगे । इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कहा कि फिर हम लिख कर भेज देगे मिनिस्ट्री को कि इसको आर्बिट्रेशन के लिए दे दिया जाए । मेयर को भी बता दिया कि यह ला के इंटरप्रेटेशन का सवाल है इसलिए अगर फिर इसको आर्बिट्रेशन के लिए दे दिया जाए तो यह मामला सुलझ सकता है जैसे कि पहले भी किया गया था । जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मेयर साहब ने एलान किया है भूख हडताल करने का तो मैंने उन से प्रार्थना की कि आप आए, हम बातचीत करते है और अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो हम निकालने की कोशिश करें । जब वह आए तो मैंने उनसे फिर यह कहा कि यह मामला ला के इंटरप्रेटेशन का है, एन डी एम सी कहती है हम टैक्स नही देंगे, आप कहते हैं कि लेंगे, इसलिए अच्छा यही है कि इसको जल्दी से आर्बिट्रेशन के लिए दे दिया जाए और जो

भी फैसला आर्बिट्रेटर देगा हम उन से मनवा देंगे—

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय एन० डी०एम०सी० ने जो फैसला लैफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया उसको नहीं माना और कह दिया कि हमारी बात नहीं सुनी गई जो सरासर गलत बात है ।

श्री ओम मेहता वह आर्बिट्रेशन नहीं था—

श्री श्यामनन्दन मिश्र लैफ्टिनेंट गवर्नर ने किस हैसियत से फैसला दिया था ?

आर्बिट्रेटर आपने नियुक्त किया । इसके बाद दो साल तक आप चादर तान कर सोते रहे । 1973 में जा कर फिर यह मामला उठाया । लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर निर्णायक फैसला नहीं कर सकते थे तो ऐसे व्यक्ति को क्यों यह मामला दिया गया ?

श्री एच० के० एल० भगत क्या यह सही नहीं है कि कारपोरेशन ने पहले कहा था कि आर्बिट्रेटर को यह मामला दे दिया जाय और बाद में यह वह मुकर गई ?

श्री ओम मेहता : कमिश्नर जो थे और एन डी एम सी ने एग्रीमेंट साइन किया था और हमने श्री एस के दास को नियुक्त करने की कोशिश की । टर्म क्या हो, दूसरी बातें क्या हों इस तरह के कई विवाद चलते रहे लेकिन जब नहीं फैसला कोई हुआ तो उसके बाद हमने यह कोशिश की कि लैफ्टिनेंट गवर्नर अगर सुलझा सकें तो सुलझा लें लेकिन जब उन्होंने सुलझाने की कोशिश की—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी कोशिश का सवाल नहीं था । कोशिश की बात अगर वह करते तो वैसे यह लिखते कि एन० डी० एम० सी० के साथ बिजली कर के भुगतान

[श्री ओम मेहता]

के सिलसिले में चल रहे विवाद का निपटारा हो चुका है । यह दो टूक बात है, निर्णायक बात है । यह लैफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा हुआ है । वह अगर ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी थे कि जो वह निर्णय देंगे उसको मनवा नहीं सकेंगे तो—उन की मजबूरी आप मान लीजिए ।

श्री ओम मेहता : एन० डी० एम० सी० ने उन्हें अपना ब्यू० पाइंट बताया । उन्होंने अपनी बात को रिपीट किया और उसके बाद लैफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सजैस्ट किया कि इस मामले को फिर आर्बिट्रेशन के लिए दे दिया जाए जैसे पहले फैसला हुआ था । उसके बाद मैंने मेयर के साथ मुलाकात की और यह सजैशन दिया । मेयर साहब हमारे आफिसर्स को मिलने के लिए बुलाते रहे जिस में एन० डी० एम० सी० के आफिसर्स को भी बुलाया गया । उनकी मीटिंगें हुईं लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया । फिर मैंने सजैस्ट किया कि एन० डी० एम० सी० आर्बिट्रेशन के लिए तैयार है और आप भी मान जाएं जैसे पहले माना था । लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है । हो सकता है कि दो तीन महीने में आर्बिट्रेशन हो जाए । तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । लेकिन आप दूध और पानी को मिले रहने देना चाहते हैं ---

श्री अटल बिहारी वाजपेयी आपकी राय में पानी ही पानी है ।

श्री ओम मेहता : दूसरा सवाल प्रापर्टी टैक्स का है । कारपोरेशन कहती है कि पांच करोड़ हमें देना है लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने देना है वे कहते हैं यह ठीक नहीं है जिन में सी० पी० डब्ल्यू० डी० वगैरह है । अब उनके अपने रीजन हैं । अगर इनफ्लेट करके कोई पचास करोड़ मांगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि पचास करोड़ उसको दे दिया जाए । उन्होंने कहा जितना भी मांगा जा रहा है इनफ्लेट करके मांगा जा

हैं। अब ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इनका रुपया बन्द करके खा हुआ है, इनको रुपया नहीं देते हैं इसलिए कारपोरेशन अपने कर्मचारियों को पे रिविजन के अनुसार पे नहीं दे पा रही है और कारपोरेशन फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 5 करोड़ में से 5 पैसे ही अगर मुनासिब समझते थे तो वही क्यों नहीं चुकता कर दिये ? यही टैक्स पेयर के सामने मिसाल रख रहे हैं ?

श्री ओम मेहता : जो जो डिपार्टमेंट ड्यू समझता था वह तो दिया।

Under the constitutional provision, only service charge is payable on Central Government properties, as local bodies cannot levy property tax on government properties. Under this provision, properties which were paying tax prior to 26th January, 1950 would continue to pay that tax. But on properties constructed on or after 26th January, 1950, property tax cannot be levied. Service charge is paid by the Central Government in lieu of this property tax. It is paid at the rate of 75 per cent of the property tax. The service charges are being paid in lieu of the following two taxes which make up the property tax, that is, house tax and fire tax.

So there is considerable difference between service charges assessed by the Delhi Municipal Corporation and the service charges accepted by the government departments, Delhi Administration etc. For example, in 1974-75 in regard to CPWD-managed properties in amount of service charges assessed by the DMC was Rs. 66.93 lakhs and the amount accepted by CPWD was Rs. 31.55 lakhs. In regard to Delhi Administration properties, the amount of service charges assessed by DMC was Rs. 43 lakhs and the amount accepted by them was Rs. 19.53 lakhs.

Also when these charges were asked from these departments, they were paying; it is not that they were not paying. Out of the amount of Rs. 2,11,44,000 which they were claiming from the CPWD, Rs. 26.12 lakhs was paid. Likewise though the other departments could not pay whatever Corporation was claiming, they were paying what they assessed was due. There was a conflict about certain things. I have already asked the Works Ministry to come to the Home Ministry. We do not want that small differences which are there should be stiffened. I may tell Shri Vajpayee that it is not Rs. 5 crores; it is in terms of lakhs. There may be a difference of a few lakhs. They have already paid quite some amount. There may be a difference of opinion about something, but it is not in terms of crores.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Instead of Rs. 5 crores, is it of the order of Rs. 5 lakhs?

SHRI OM MEHTA: I am not saying that.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The due indicated is of the order of Rs. 5 crores. What is your estimate of the due?

SHRI H. K. L. BHAGAT: Crores of rupees of loans which are due have not been paid to the Central Government.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: That is a different matter. Please give your estimate of the due.

SHRI OM MEHTA: I have already given the figure about the CPWD. It is Rs. 31.5 lakhs for 1974-75.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Total.

SHRI OM MEHTA: Total, whatever was due has been paid. According to figures with me, Rs. 75.78 lakhs has already been paid.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: As against a demand of Rs. 5 crores made by the Corporation?

SHRI OM MEHTA: There is a conflict about everything. About the rate, we say it is service charge. On the unit of property, there is a conflict. CPWD computes it is only Rs. 31.55 lakhs against Rs. 66.93 lakhs, out of which Rs. 26.12 lakhs have already been paid.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA I seek your protection. We quite understand the difference between property tax and service charge. Now on the basis of service charges, what is the estimate of the dues to the Corporation?

SHRI S M. BANERJEE: On a point of order. This is a half-an-hour discussion.

MR. CHAIRMAN: Shri Mishra is a senior leader. I would draw his attention to rule 55(2).

SHRI S M. BANERJEE: Shri Mishra is one of the oldest members He must know the rules. He is interrupting. But it should not be more than the speech.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA I am seeking clarification

SHRI S. M. BANERJEE: But the clarification should not exceed the main speech.

MR. CHAIRMAN: He has made the point. Because of the topical interest of the subject matter, I thought the hon. Members should get an opportunity to participate. Under rule 55(2) all that is expected is a short reply. The words used are the Minister may reply shortly. You cannot under the rules expect detailed information on all matters. Kindly be satisfied with whatever he has given The discussion should have concluded at 6.30 according to the rule; we are now reaching seven O'clock.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAY He has to cover the points raised me and the other Members. Shr reply does not mean that he coul give a vague reply.

MR. CHAIRMAN: As against certain claims made by the Corporation, they have remitted money which in their opinion was their due. There are disputes. Government agrees that there are disputes. That is a different matter.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA We want to know the dimension of the difference.

MR. CHAIRMAN: You cannot get all the detailed clarifications that you want

SHRI OM MEHTA. The amounts claimed by the DMC are highly inflated and I have already stated so.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE Unless he indicates Government's figures how can he say that the figures are inflated? He has not given the figures.

श्री ओम मेहता दिल्ली प्रशासन का मैंने बताया, यही तो बड़े बड़े देने वाले है। आपकी जो रेलवेज हैं 6 33 लाख उनसे लेने थे उन्होंने 1 46 लाख दिया है। जिन जिन से उन के क्लेम थे। इसी तरह डी० डी० ए० का है उनसे 99 लाख लेने थे उन्होंने 39 हजार दिया है। इस तरह बजट को पास करने के लिए आप कहते। अब अगर मिश्रा जी कहदें कि ओम मेहता से 10 करोड़ लेना है, उससे यह तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतना पैसा देना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या मिश्र जी ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बात कह सकते है? मिश्रा जी नहीं कह सकते तो कारपोरेशन भी नहीं कह सकता, वह भी चुना हुआ है।

SHRI OM MEHTA: With regard to fire services, prior to the setting up of the Corporation the fire services in Delhi were run by the Delhi Administration and the local bodies were making some contribution. In 1958 the entire services were transferred to the Corporation along with the assets and liabilities on the understanding that the Corporation would be responsible for meeting the needs of the NDMC area also. It may be recalled that the area of the NDMC was halved when the Corporation was set up. Moreover, the Central Government was giving a grant of Rs. 64 lakhs per month to the Corporation on account of the cost of maintenance of the services at the time of the transfer. A view was therefore taken that the NDMC need not contribute anything to the Corporation in respect of the fire services. Later on the recommendation of the Morarka Commission grant-in-aid was stopped. The DMC's point is that the NDMC should now make a contribution to the DMC on account of the services. As stated in the earlier reply the Delhi Administration is going into the question .... *(Interruptions)*. About the Morarka Commission, they made a lot of recommendations for augmenting the resources of the DMC.

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : फायर सर्विसेज के बारे में मोरारका कमीशन की जो रिपोर्ट है, एन० डी० एम० सी० ने उसे स्वीकार किया है या नहीं ?

श्री ओम मेहता : मैंने बता दिया था कि मोरारका कमीशन ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है ।

MR. CHAIRMAN: I am sorry; it is not relevant to the issue.

श्री ओम मेहता : मोरारका कमीशन ने कई सुझाव दिये थे । उस का एक सुझाव यह था कि कारपोरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्ज नहीं लेना चाहिए । बदकिस्मती से कारपोरेशन ने जो भी कर्ज लिए, उस में से बहुत सा आज तक वापिस नहीं हुए । वे बढ़ते ही गये । हम कर्ज देते ही गये । श्री बाजपेयी कारपोरेशन से कहें कि वह खुद अपने पांव पर खड़ा हो जाये । जैसाकि श्री नायक ने कहा है, वह एन्टरटेनमेंट टैक्स और दूसरे टैक्सों को बढ़ाये, और उसने प्रापर्टी पर जो टैक्स लगाये हैं, उन को वसूल करने की कोशिश करे । *(व्यवधान)*

मोरारका कमीशन ने ये रीकमेंडेशन्ज दी थी

(i) Minimum rate of property tax to be levied should be 15 per cent, for general tax, 4 per cent for water tax and 2 per cent for scavenging tax.

(ii) The slab system for levying property tax should be rationalised so that properties within an annual rateable value of Rs. 40,000 and above should be brought together in one slab, paying property tax at 24 per cent.

(iii) In other slabs, rates of taxes for properties should be recast between the minimum 15 per cent and the maximum of 24 per cent.

(iv) A flat additional rate of 5 per cent may be levied under different slabs in the case of commercial properties.

(v) Education cess and tax on professions/trades/employments may be levied.

(vi) Upward revision in the rates of terminal tax, entertainment tax and motor vehicles tax should be *made, thus increasing the share of* the Corporation in these assigned taxes.

These were some of the recommendations. Some have been partially implemented, but most of them remain

[Shri Om Mehta.]

still unimplemented. So, the finances of the Corporation could not be augmented and could not be improved.

Shri Banerjee has raised some points and he has said that there have been some news about some corruption cases. There were ten cases registered by the CBI. In five cases they have sent their recommendations to the Corporation, and out of the remaining five cases, three cases are nearing completion and two cases are still going on. I have given the details of these cases on the floor of the other House. Some engineers are being prosecuted for all these things and there are some grave and serious charges of corruption also.

SHRI S M. BANERJEE What are the charges?

SHRI OM MEHTA: I do not have the details, but from memory I can say that in certain cases certain works were not done when the money was paid, certain supplies were not made and the money was paid Like that, the charges are there If he needs the details....

श्री एच० के० एल० भगत इंजीनियर्ज ने यह भी कहा है कि जनसंघ के लिए पैसा मांगा गया।

It is on record and that is why they did it.

MR CHAIRMAN. We may avoid that now

SHRI OM MEHTA There are charges, but I will not go into them

SHRI H. K. L. BHAGAT: It is part of the CBI Report. Why don't you lay it on the Table of the House?

SHRI OM MEHTA: It is never done.

SHRI H. K. L BHAGAT: At least a summary.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री भगत पांडीचेरी लाइसेंस कांड से सम्बन्धित सी० बी० आई० की रिपोर्ट हाउस के सामने रखने के पक्ष में नहीं थे।

SHRI H K L BHAGAT: I am asking only for a summary.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने जिसे रखने का भी समर्थन नहीं किया था।

MR CHAIRMAN The subject matter of the discussion is only dues payable to the Delhi Municipal Corporation Let us not deviate into other cases.

SHRI OM MEHTA They have not done enough to raise internal resources, and some of the recommendations of the Morarka Commission have only been partly implemented Budgets have been artificially balanced and consistent default has been made in repayment of loans and interest.

In conclusion, I would like to say that Government have taken a decision that a show cause notice be issued to the Corporation why it should not be superseded.

18.57 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 18, 1975/Phalguna 27, 1896 (Saka).

MGIPND—21 LS—Lino (NS)—26-5-75—978.